(25)

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—39/2011 विविध बाबत आवंटन निरस्ती GCMS ID- 2011/00008

1. अगडीराम (मृतक)
1/1 बदीप्रसाद (मृतक)
1/1/1. विक्रम सिंह
1/1/2. बलदेव सिंह
} पुत्रगण स्व. श्री बदीप्रसाद पुत्र स्व. श्री अगडीराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/2. अमीलाल
1/3. रामानन्द
1/4. नेकीराम
1/5. विद्याधर
} पुत्रगण स्व. श्री अगडीराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/6. कलावती पुत्री स्व. श्री अगडीराम धर्मपत्नी श्री आदराम जाति जाट निवासी धीरबास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
1/7. सावित्री पुत्री स्व. श्री अगडीराम धर्मपत्नी श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी धीरबास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
1/8. पार्वती पुत्री स्व. श्री अगडीराम धर्मपत्नी श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी वार्ड नं 11, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
1/9. संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सतपाल
1/10. भूपेन्द्र पुत्र स्व. श्री सतपाल
1/11. सिलोचना पुत्री स्व. श्री सतपाल
} जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिसिंह (मृतक)
1/1. सुभाष
1/2. दलवीर
} पुत्रगण स्व. श्री हरिसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/3. बीसमति (पुत्री स्व. श्री हरिसिंह) धर्मपत्नी श्री कृष्ण जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार(हरियाणा)।
1/4. ओमपति (पुत्री स्व. श्री हरिसिंह) धर्मपत्नी श्री छबीलदास जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार(हरियाणा)।
1/5. शारदा (पुत्री स्व. श्री हरिसिंह) धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
1/6. श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी स्व. श्री हरिसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

—अधिनिर्णय/एडजुडिकेशन:— **दिनांक—06.09.2022**

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका 2349/1985 में पारित आदेश दिनांक 12.10.1995 की अनुपालना में यह अधिनिर्णय दिया जा रहा है।
2. कार्यालय जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 03.06.1972 को हरिसिंह पुत्र बोगाराम जाति बिश्नोई सा. सरदारगिढया के चक 7 एम.एस.आर. के मुरबा न. 19 में किला नं 19, 21, 22 कुल 3.00 बीघा, मुरबा

(26)

नं. 20 में किला नं. 21 ता 25 कुल 5.00 बीघा, मुरबा नं. 21 में किला नं. 21 ता 25 कुल 5.00 बीघा, मुरबा नं. 30 में 4, 5 कुल 2.00 बीघा तथा मुरबा नं. 31 में किला नं. 1, 2 कुल 2.00 बीघा इस प्रकार कुल 17.00 बीघा सेंडी–लूम भूमि कमी पूर्ति में आवंटित हुई ,जिसकी प्रति बीघा 500/– रूपये दर निर्धारित थी।

3. उक्त आवंटन आदेश को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अगड़ीराम पुत्र नानूराम जाति जाट सा. सरदारगिढया के आवेदन पर रिव्यु कर दिनांक 06.02.1974 को निरस्त कर दिया गया।
4. दिनांक 17.02.1979 को राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने उक्त भूमि आवंटन के मामले को उपजिला कलक्टर, नोहर को भेज कर जोहड़ पायतन व आवंटन की पात्रता (भूमिहीन या स्माल पैच के बिन्दू पर) जांचते हुए कार्यवाही हेतु भेज दिया।
5. हरिसिंह पुत्र बोगाराम ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील दायर की, जिस पर दिनांक 05.06.1985 को मण्डल ने निगरानी मानकर अपने निर्णय से उक्त दोनों आदेश अपास्त कर दिये। उक्त निर्णय में माननीय मण्डल ने यह माना कि उक्त भूमि का स्माल पैच आवंटन, भाखड़ा आवंटन नियम 1955 के नियम 17ए(IV) व 17ए(II) के तहत अन्य आवेदकों के आवेदन की अनुपस्थिति में हरिसिंह को आवंटन की प्रायिकता थी।
6. माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अगड़ीराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका 2349/1985 दायर की जिस पर अपने निर्णय दिनांक 12.10.1995 से उक्त प्रकरण जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को निम्न 2 बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय बाबत आवंटन की वैधता तय करने हेतु रिमांड किया गया है– 1. भूमि की श्रेणी 2. नियम 17, 17–ए के तहत पात्रता।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों व विभिन्न न्यायालयों के पूर्व आदेशों/निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी हरिसिंह को उसके पूर्व धारण से अवशेष भूमि की कमी पूर्ति श्रेणी मानते हुए रूपये 500/– की आरक्षित दर से भूमि का आवंटन हुआ। इसकी पुष्टि, सर्वप्रथम आवंटित आदेश (03.06.1972), टी.आर.ए. के सेल रजिस्टर में भूमि की राशि 500/– रूपये की फलावट से किश्तों की अदायगी के ब्यौरे एवं इस 17 बीघा भूमि की खातेदारी सनद 54847/20.05.1994 में 8500/– रूपये की जमा राशि के हवाले से होती है।
8. भूमि की आवंटन श्रेणी स्माल पैच मान कर विवेचना की जाये तो यह स्पष्ट होता है कि स्माल पैच का नियम 17–ए, भाखड़ा आवंटन नियमो में दिनांक 10.04.1974 को प्रतिस्थापित हुआ। (संदर्भ :– अधिसूचना GSR/3F4(1) Rev.Col,73dt-05.04.1974 pub- in Raj. Gaz. pt. IVc (1) Ex.Ord. dt-10.04.1974) **अतः स्पष्ट है कि उक्त भूमि की आवंटन श्रेणी स्माल पैच तो कतई नहीं थी।** इस बात को इस बात से भी बल मिलता है कि तत्समय स्माल पैच में आवंटन की सीमा, **सिंचित 2 एकड़ (3 बीघा 4 बिस्वा) व असिंचित 4 एकड़ (6 बीघा 8 बिस्वा) ही निर्धारित थी। भूमि यदि स्माल पैच में आवंटन होती तो भी नियम 17 के तहत प्राथमिकता में समीप की भूमि या उसी मुरब्बे के काश्तकार की भूमि आती।** नियम 17ए(II) के तहत भी भूमिहीन काश्तकार को आवंटन की प्राथमिकता पूर्व से ही निर्धारित थी।
9. पत्रावली में संलग्न एक खातेदारी सनद 18994/22.02.1979 में हरिसिंह व उसके 2 भाईयों – छबालाराम व हनुमान के नाम संयुक्त नीलामी खरीद (27.12.1961) में 25 बीघा भूमि (06 बीघा असिंचित व 19 बीघा सिंचित) भूमि का ब्यौरा मिलता है। **अतः स्पष्ट है कि उसके शेयर में पूर्व से ही 8 बीघा 07 बिस्वा भूमि धारण में थी।** इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि वह भूमिहीन श्रेणी में भी नहीं था। भाखड़ा परियोजना नियमों (1955) में नियम 12 व नियम 13 के तहत तत्समय भूमि आवंटन की प्राथमिकता में टैम्परेरी लीज पर स्वयं काश्त करने वाले व उस ग्राम/चक के भूमिहीन लोग थे ना कि पूर्व से ही आवंटित भूमिधारक कृषक। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भाखड़ा परियोजना में उक्त आवंटन नियमों के नियम 10 में स्पष्ट है कि Rule 10- [Status of Joint Family.]- A joint family shall for the purposes of existing holdings and of allotment of land under these rules shall be deemed to be one person and dealt with accordingly, 2[and All lands held jointly or severally by various members of the joint family under different Khatas of the same or different classes of tenures shall be deemed to be held by the whole family jointly]. **अतः जब पूर्व में भाईयों**

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

28

16. **उपखंड अधिकारी, भादरा को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 12.10.1995 के आलोक में आदेश दिया जाता है कि उक्त 17 बीघा भूमि का आवंटन भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में आवंटन नियम 1955 के नियम 17–ए के तहत वैध श्रेणी में नहीं है। उपखंड अधिकारी उक्त विवेचन के बिन्दु सं. 8, 9 व 15 के अनुरूप इस 17 बीघा भूमि का आवंटन खारिज करने की कार्यवाही करे।** पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के आवंटन से सम्बन्धित मूल आवंटी का निधन होने से उसके उत्तराधिकारी/अन्य पक्षकार, वर्तमान जमाबन्दियों में दृष्टिगोचर हो रहे है। यद्यपि यथास्थिति का नोट लगा हुआ है।
17. यदि भूमि पर बैंक का ऋण लिया हुआ है तो बैंक को अवगत कराते हुए लोन की रिकवरी भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पृथक से की जा सकेगी।
18. कुछ पक्षकारों को सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 की परिधि में संयोजित करने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान में दायर निगरानी एलआर/7509/2016 में पारित निर्णय 11.09.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका/दिनांक 16212/2017 में माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करने बाबत आदेश दिनांक 19.12.2017 को दिया गया है। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व संदर्भित आदेश दिनांक 12.10.1995 में बाधक नहीं है। फिर भी तहसीलदार, भादरा समुचित पैरवी कर इस याचिका 16212/2017 के क्रम में प्रदत्त दिशा निर्देश/आदेश के अनुरूप कार्यवाही कर सकेगा। चूंकि इस प्रकरण में सारवान प्रश्न आवंटन निरस्तीकरण का है तथा उच्च न्यायालय में दायर वर्तमान याचिका का याचिकाकर्ता मूल आवंटन में कोई हित नहीं रखता है। अतः उसका कोई हित आवंटन के निरस्तीकरण से प्रभावित नहीं होगा। फिर भी यदि कोई अन्यथा आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उसकी पालना या आदेश की अपील, जो भी समुचित विधिक राय के आधार पर तय की, की जायेगी।

उक्त विवेचन के आधार पर उपखंड अधिकारी इस अधिनिर्णय के बिन्दु सं. 16 की पालना 3 माह के भीतर करेगा। तहसीलदार, भादरा उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में 17 बीघा भूमि अराजीराज दर्ज करेगा या पूर्वोक्त बिन्दु 14 के तहत कार्यवाही करेगा।

अधिनिर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(27)

को संयुक्त रूप से भूमि का आवंटन हो चुका है तो वे एक युनिट माने जायेंगे। तब अवशेष भूमि भूमिहीन पुख्ता आवंटन श्रेणी में नहीं मानी जा सकती है। फलस्वरूप प्रश्नगत 17 बीघा भूमि का उक्त आवंटन वैधता के आलोक में उजागर हुआ नहीं प्रतीत होता है तथा कबिले खारिज है।

10. जहां तक पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि सेटलमेंट की खतौनी (सम्वत् 2029–2038) में चक 7 मुंसरी (वर्तमान 7 एम.एस.आर.) में गैर मुमिकन जोहड़ा खसरा नं. 76 में 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 77 में 1 बीघा व खसरा नं. 78 में 4 बीघा 15 बिस्वा कुल 11 बीघा 5 बिस्वा का विवरण अभिलिखत है किन्तु इससे पूर्व की खतौनियों में प्रश्नगत भूमि के किलाजात सिवायचक अभिलिखत है। यह सूची नं. 4 से ही पता चलेगा कि किस खसरे से कौन–कौन से मुरब्बे/किले बने है। सम्वत् 2029 का सापेक्ष वर्ष 1972 इंगित होता है तो संभव है कि उस स्थान का तत्समय उपयोग जोहड़े के रूप में किया जा रहा होगा एवं सेटलमेंट विभाग ने खतौनी में गैर मुमकिन जोहड़े की प्रविष्टि कर दी होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्वत् 2000 की खतौनी दरमियानी अभिलेख में खसरा सं. 10, 48 व 163 की भूमि जोहड़ दर्शायी हुई है। तहसीलदार को तफसील करनी होगी कि किस खसरे से वर्तमान में कौनसा मुरब्बा किला बना है। यदि आवंटित विवादित भूमि के किलाजात इन जोहड़ खसरों से ही टूट कर बने हैं तो इसका निर्धारण तहसीलदार करके बतायेगा।
11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन की मूल पत्रावली तहसीलदार, भादरा व उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर से पत्राचार करके बार–बार स्मरण पत्र द्वारा चाही जा रही है। उपखण्ड अधिकारी, भादरा इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करके वांछित पत्रावली की स्थिति के बारे में एक माह में टिप्पणी भिजवायें।
12. पत्रावली नहीं मिलने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।
13. आवंटन सही हुआ है या गलत इसके लिये राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 में उल्लेख है। धारा 11 में यह अभिनिर्धारित है कि काश्तकार ने गलत सूचना के तथ्य देकर आवंटन करवाया है तो इसे शर्त भंग/ब्रीच ऑफ कंडीशन्स माना जायेगा जो धारा 14 के तहत काश्तकारी रिजम्पशन का भागी होगा।
14. यद्यपि तहसीलदार, भादरा द्वारा दिनांक 15.06.2011 को पत्र लिखकर जोहड़ पायतन के कच्चे बीघों का खसरा क्षेत्रफल मिलान तहसील के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत लिखा है किंतु वर्तमान तहसीलदार, भादरा पूर्वोल्लेखित बिन्दु सं. 10 के अनुसरण में पूर्ण प्रयास के साथ रिकॉर्ड से समुचित मिलान कर आवंटित प्रनश्गत भूमि (बिन्दु सं. 2 के अनुसार) के किलाजात यदि जोहड़ पायतन के टूटे खसरे से निर्मित पाये जाते हो तो इसकी रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपखंड, अधिकारी को देगा तथा उक्त भूमि यदि जोहड़ पायतन से टूट कर आवंटित हुई हो तो सम्बन्धित किले पुनः वर्तमान रिकॉर्ड में जोहड़ पायतन दर्ज करने का आदेश प्राप्त करेगा।
15. यह है कि प्रश्नगत भूमि का **आवंटन स्माल पैच में नहीं हुआ है बल्कि कमी पूर्ति पुख्ता आवंटन श्रेणी** मानते हुए हुआ है। चूंकि नियम 12 व नियम 13 की प्राथमिकताओं के में उक्त आवंटन की वैधता सही नहीं है क्योंकि स्वतः स्पष्ट है कि आवंटी के शेयर में पूर्व से ही 8 बीघा 07 बिस्वा भूमि धारण में थी। **इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि वह भूमिहीन श्रेणी में नहीं था।** भाखड़ा नियमों में नियम 12 व नियम 13 के तहत तत्समय भूमि आवंटन की प्राथमिकता में टैम्परेरी लीज पर स्वयं काश्त करने वाले व उस ग्राम/चक के भूमिहीन लोग थे ना कि पूर्व से ही आवंटित भूमि धारक कृषक। आवंटन की श्रेणी कमी पूर्ति पुख्ता आवंटन श्रेणी मानते हुए किया गया है जो गलत है क्योंकि भाखड़ा के आवंटन नियमों में कमी पुर्ति का कहीं उल्लेख नहीं है। यह भी है कि जब उक्त आवंटी इस विवादित आवंटन से पहले ही नीलामी में 25 बीघा भूमि (1/3 हिस्सेदारी में) खरीद चुका था तो वह भाखड़ा परियोजना में कृषि भूमि के आवंटन नियम 1955 के नियम 2 (6) में परिभाषित भूमिहीन श्रेणी में नहीं आयेगा। कमी पूर्ति तो तब मानी जाती जब उसके पैतृक हिस्सेदारी के अलावा आवंटन सीमा में भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हुआ होता या पूर्व में पुख्ता भूमिहीन श्रेणी का आवंटन, आवंटन सीमा से कम हुआ होता या आवंटित भूमि में से नहर या सड़क निकल जाती। भाखड़ा परियोजना में उक्त आवंटन नियमों के नियम 10 में जब पूर्व से ही संयुक्त रूप से 25 बीघा भूमि नीलामी में खरीदी जा चुकी हो तो उसे 25 बीघा की एक युनिट मानते हुए कमी पूर्ति में अन्य आवंटन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़